

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940 No. 956] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

का.आ. 1090(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड में श्री जी.एस. यादव, पूर्व संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार के स्थान पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 30/02/2019-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

S.O. 1090(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Dr. Rajiv Mani, Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs as *ex-officio* member in the Insolvency and Bankruptcy Board of India vice Sh. G. S. Yadav, ex-Joint Secretary and Legal Adviser.

[No. 30/02/2019-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

1358 GI/2019